समक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून

उपस्थित : माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

............उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 66/एस0बी0/2020

सी 1715 सी0पी0 दीपक सैनवाल पुत्र श्री आर0 सिंह, आरक्षी पुलिस विभाग, देहरादून उत्तराखण्ड।

..................याची

बनाम

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा गृह सचिव, उत्तराखण्ड सरकार।
2. पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।

....................प्रतिवादीगण

एवं

याचिका संख्या 60/एस0बी0/2020

एच0सी0पी0 64, योगेन्द्र सिंह, पुत्र श्री एम0 सिंह, पुलिस लाईन, देहरादून, उत्तराखण्ड।.

.................याची

बनाम

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा गृह सचिव, उत्तराखण्ड सरकार ।
2. पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।

.............प्रतिवादीगण

एवं

याचिका संख्या 46/एस0बी0/2021

160 सी0पी0 विवेक कुमार, पुत्र श्री रविन्द्र कुमार, ग्राम एवं पोस्ट पोडावाली, देहरादून, उत्तराखण्ड।

.................याची

बनाम

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा गृह सचिव, उत्तराखण्ड सरकार ।
2. पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थितिः डा0 एन0के0 पन्त, याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

श्री वेद प्रकाश देवरानी, विपक्षीगण के अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः जुलाई 21, 2022

उपरोक्त तीनों याचिकाओं में याचिकाकर्तागण का विवाद एक ही विभाग, तिथि एवं समान तथ्यों से सम्बन्धित है। तीनों याचिकाओं में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 30.04.2020 एवं पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 21.07.2020 को अपास्त करने हेतु प्रार्थना की गई। उपरोक्त तीनों याचिकाओं का एक साथ निस्तारण किया जाना न्यायोजित पाता हूँ। अतः तीनों याचिकायें एक साथ निर्णित की जा रही हैं।

2. उपरोक्त तीनों याचिकाओं में याचीगण द्वारा अभिलेखों को मंगाने हेतु आदेश या निर्देश जारी किये जाने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 30.04.2020 एवं इस दण्डादेश के विरूद्ध की गयी अपील में, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 21.07.2020 को निरस्त करने के साथ ही निलम्बन अवधि दिनांक 18.02.2018 से 26.02.2018 के दौरान के वेतन और भत्ते के भुगतान हेतु आदेश पारित करने हेतु भी अनुतोष चाहा गया है। याची, दीपक सेनवाल (याचिका सं0 66/एस0बी0/2020) एवं याची, योगेन्द्र सिंह (याचिका सं0 60/एस0बी0/2020) द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 23.04.2018 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। याचीगण द्वारा याचिकाओं का व्यय प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया गया है।

3. संक्षिप्त में याचिकाकर्तागण द्वारा अपनी याचिकाओं में कथन किये गयें है कि तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण वर्तमान में पुलिस विभाग में आरक्षी के रूप में कार्यरत हैं। जब वादीगण वर्ष 2018 तक पुलिस लाईन गणना कार्यालय देहरादून में आरक्षी के रूप में कार्यरत थे, दिनांक 04.02.2018 को लगभग 9:00 बजे रात्रि में थकान को दूर करने के लिए कार्य के निस्तारण के पश्चात साफ्ट ड्रिंक पी रहे थे। सामान्यतया मोहर्रिर द्वारा लगभग 7:00 बजे

सांय कार्य को पूर्ण कर लिया जाता है दुर्भाग्यवश उस समय आरक्षी भीम, नितिन और दीपक चौधरी द्वारा एक जाली वीडियो बनाया गया और इस विडियों को विभाग के उच्चाधिकारियों की जानकारी में लाने की बजाय सोशल मीडिया तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

4. याचीगण को दिनांक 18.02.2018 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या 67/2018 से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया एवं आदेश दिनांक 27.02.2018 के द्वारा बहाल किया गया। दिनांक 28.03.2018 द्वारा वादीगणों को इस सम्बन्ध में एक कारण बताओ नोटिस दिया गया कि वर्ष 2018 में पुलिस लाईन, जनपद देहरादून में नियुक्ति के दौरान वायरल हुये आपत्तिजनक वीडियों में शामिल होने के संबंध में आपकी निलम्बन अवधि दिनांक 18.02.2018 से 26.02.2018 तक के देय अवशेष वेतन एवं भत्तों के संबंध में निर्णय लिया जाना है। उपरोक्त संबंध में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिन का समय प्रदान किया जाता है, क्यों न आपको आपकी निलम्बन अवधि दिनांक 18.02.2018 से 26.02.2018 तक के लिए वही वेतन एवं भत्ते स्वीकृत किये जायें जो आप निलम्बन अवधि के दौरान पा चुके हैं। तत्पश्चात सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी लाईन, देहरादून द्वारा दिनांक 25.03.2018 को जॉच रिर्पोट दी गयी।

5. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र देहरादून के आदेश दिनांक 23.04.2018 द्वारा याची (दीपक सेनवाल) को देहरादून से रूद्रप्रयाग स्थानांतरित कर दिया गया जो दुर्भावना तथा शक्तियों के दुरूपयोग करके किया गया। याची को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के पत्र संख्या 132 दिनांक 01.05.2018 द्वारा देहरादून से मुक्त कर दिया गया। महानिरीक्षक पुलिस, गढ़वाल परिक्षेत्र देहरादून उत्तराखण्ड द्वारा स्वैच्छाचारी से जारी स्थानांतरण आदेश दिनांक 23.04.2018 के विरूद्ध याची द्वारा एक याचिका मा0 उच्च न्यायालय में योजित की गई और मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस कथित आदेश पर अपने आदेश दिनांक 07.05.2018 द्वारा स्थगन दिया गया।

6. याचीगण जाली प्रकाशित वीडियो सोशल मीडिया तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात् महानिरीक्षक गढ़वाल रेंज द्वारा अपने पत्र संख्या

357 दिनांक 03.07.2018 द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर, हरिद्वार को मामले का जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। दुर्भाग्य से यह जॉच रिर्पोट बिना किसी पुष्टि के मनगढ़ंत आधार पर तैयार की गई। यहां पर यह उल्लिखित किया जाना समीचीन होगा कि जॉच अधिकारी किसी जॉच में कोई शास्ति को प्रस्तावित नही कर सकता है क्यों कि यह अधिकार नियुक्ति अधिकारी में निहित होता है। जब जॉच अधिकारी द्वारा याची के विरूद्ध शास्ति पुलिस अधिनियम की धारा 14(2) के अधीन प्रस्तावित कर दी गई तो निश्चित ही जॉच अधिकारी की यह रिर्पोट स्वीकार योग्य नही है।

7. याचीगण को पुनः दिनांक 30.10.2019 को कारण बताओ नोटिस दिया गया कि दिनांक 04.02.2018 को रात्रि लगभग 9:00 बजे आपके द्वारा गणना कार्यालय पुलिस लाईन में हे0कान्स0 64 स0पु0 योगेन्द्र, आरक्षी 603 ना0पु0 धमेन्द्र, आरक्षी 226 स0पु0 विवेक एवं आरक्षी 1626 ना0पु0 संजीव के साथ बैठकर बीयर का सेवन किया गया तथा आपके उक्त कृत्य एवं आचरण की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस बल की छवि धूमिल हुयी है। इस प्रकार आपका एक अनुशासित पुलिस बल में नियुक्त रहते हुये गणना कार्यालय में बीयर का सेवन किया जाना निन्दनीय, अनुशासनीन एवं स्वेच्छाचारिता को परिलक्षित करता है। इस कारण बताओ नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर उपरोक्त सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि क्यों न उक्त कृत्य एवं आचरण हेतु आपकी चरित्र पंजिका में उत्तरांचल अधीनस्त श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के नियम 4(1)(ख) के उपनियम 4 में निहित प्राविधानों के तहत निम्नांकित प्रस्तावित परिनिन्दा लेख अंकित कर दिया जायेः–

> ''वर्ष 2018 में जब यह आरक्षी पुलिस लाईन जनपद देहरादून में नियुक्त था तो दिनांक 04.02.2018 को रात्रि 9:00 बजे इनके द्वारा गणना कार्यालय पुलिस लाईन में हैड कास्टेबुल 64स0पु0 योगेन्द्र, आरक्षी 603 ना0पु0 धर्मेन्द्र, आरक्षी 226स0पु0 विवेक एवं आरक्षी 1626ना0पु0 संजीव के साथ बैठकर बीयर का सेवन किया गया तथा इनके उक्त कृत्य एवं आचरण की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस बल की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकार इनका एक अनुशासित पुलिस बल में नियुक्त रहते हुये गणना कार्यालय में बीयर का सेवन किया जाना निन्दनीय, अनुशासनहीनता

> एवं स्वेच्छाचारिता को परिलक्षित करता है। इनके उक्त कृत्य एवं आचरण की परिनिन्दा की जाती है।''

8. उक्त के संबंध में याचीकर्तागण द्वारा अपना–अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। दण्डाधिकारी द्वारा याचीकार्तागण के लिखित स्पष्टीकरण को संतोषजनक न पाते हुए, उनके कृत्य एवं आचरण के लिए अपने आदेश दिनांक 30.04.2020 के द्वारा परिनिन्दा लेख के दण्ड से दण्डित किया गया।

9. याचीकर्तागण द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन परिनिन्दा के विरूद्ध अपील योजित की गई, जिस पर विचार किये बिना ही, पुलिस उप निरीक्षक गढ़वाल मण्डल देहरादून द्वारा, अपील को दिनांक 21.07.2020 को खारिज कर दिया गया। इस परिनिन्दा से व्यथित होकर साथ ही साथ अपील के अस्वीकार हो जाने पर वादी ने यह याचिका योजित की है।

10. याचीगण द्वारा आक्षेपित आदेशों को इस आधार पर चुनौदी दी है कि वादीगण कार्यावधि के पश्चात् अपनी थकान को मिटाने के लिए साफ्ट ड्रिंक पी रहा थे। याचीगण का कार्य और आचरण हमेंशा उत्कृष्ट रहा है और उसमें कभी कोई कमी नही पाई गई। उत्तरदातागण के पास गणना कार्यालय में बियर पीने के कोई प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नही है। वीडियों जाली है जो विश्वसनीय नहीं है। बियर पीने के साक्ष्य संदेहप्रद है अतः संदेह का लाभ याचीगण को दिया जाना चाहिए। उत्तरदातागण द्वारा याचीगण को एक ही अपराध के लिए कई दण्ड दिये गये है जो विधि के विरूद्ध है।

11. सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा उत्तरदातागण की ओर याचीगण के याचिकाओं के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए प्रतिशपथपत्र संक्षेप में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि याचीगण उत्तराखण्ड अनुशासित पुलिस बल के सदस्य हैं एवं पुलिस लाईन, देहरादून में गणना कार्यालय में नियुक्ति के दौरान पुलिस लाईन जैसे महत्तवपूर्ण एवं अनुशासित स्थल के कार्यालय में बैठकर अपने पद का दुरूप्रयोग कर बीयर का सेवन करते हुए आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ जिससे पुलिस की छवि धूमिल हुई। याचीगण द्वारा उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के नियम 4 ''क'' का उल्लघंन किया गया जिसकी प्रारम्भिक जांच करायी गयी

तथा जांच में परिलक्षित साक्ष्यों के आधार पर ही याची का सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 के प्रस्तर–23(2) के उपनियम–ख में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत परिनिन्दा लेख के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसिकी पुष्टि विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा करते हुए याची का अपील बलहीन पाते हुए निरस्त की गयी। अतः उपरोक्त दण्डन आदेश व अपीलीय निरस्तीकरण आदेष पूर्णतया नियमों अनुरूप निर्गत विधि सम्मत आदेश है, जिसमें विधिक रूप से किसी प्रकार की हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः याचिकायें निरस्त होने योग्य हैं।

12. याचीगण द्वारा प्रतिउत्तर शपथपत्र दाखिल किया गया एवं याचिकाओं में कहे गये कथनों को दोहराते हुए, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा उत्तरदातागण की ओर से दाखिल प्रतिशपथपत्र में किये गये कथनों का खण्डन किया ।

13. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता गण की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया ।

14. याचीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि याचिकर्तागण दिनांक 04.02.2018 को पुलिस लाइन देहरादून के गणना कार्यालय में आरक्षी के पद पर कार्यरत थे तथा अपने साामान्य ड्यूटी कार्य के उपरान्त लगभग 9.00 बजे रात्रि में थकान को दूर करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे दुर्भाग्यवश उस समय आरक्षी भीम सिंह, नितिन और दीपक चौधरी द्वारा याचीगण का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में जारी कर दिया। याचीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के पश्चात वीडियो बनाने वाले आरक्षी भीम सिंह, नितिन और दीपक चौधरी के विरूद्ध अपने कर्तव्यों का दुरूपयोग एवं अनुशासनहीनता करने के बावत सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी लाईन देहरादून निहारिका भट्ट द्वारा जांच की गयी ओर जिसमें उपरोक्त आरक्षियों दीपक सेनवाल, योगेन्द्र सिंह एवं विवेक कुमार के गणना कार्यालय में बैठकर बीयर का सेवन करना पाते हुए, उनके सरकारी में कृत्य घोरलापरवाही अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता का दोषी पाया गया। विद्वान अधिवक्ता

याचीगण ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि उक्त जांच के बाद पुनः एक जांच ममता बोहरा पुलिस अधीक्षक, नगर हरिद्वार के द्वारा की गयी और जिसमें उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से हटकर विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी, जब कि नियम 14 (2) पुलिस एक्ट अधिनियम में केवल नियुक्त अधिकारी द्वारा दण्ड दिया जा सकता है और उसके पश्चात् पुनः एक अन्य जांच श्रीमती कमलेश उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक, नगर हरिद्वार द्वारा की गई और जिसमें याचीगण को पुलिस लाईन देहरादून के गणना कार्यालय में बैठकर बीयर का सेवन करने के दोषी पाये गये, जबकि याचीगण सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे। याचीगण के अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि यदि याचीगण द्वारा बीयर अथवा शराब पी रखी थी तो उसके लिये याचीगण के ब्लड एवं पेशाब की मेडिकल जांच होनी चाहिए थी, लेकिन इस प्रकार की कोई भी मेडिकल जांच याचीगण के रक्त व पेशाब की नहीं की गयी तथा याचीगण को एक से अधीक दण्ड से दण्डित किया गया जिसमें निलम्बन अवधि का शेष वेतन आदि रोक दिया गया, देहरादून से रूद्रप्रयाग स्थानान्तरण किया गया तथा सेवा पुस्तिका में परिनिन्दा प्रविष्टि की गई जो अपने आप में प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है तथा एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को दो या दो से अधिक दण्ड नही दीये जा सकते हैं। जबकि याचीगण द्वारा कोई भी अपराध नही किया गया। अतः याचीगण के विरूद्ध पारित परिनिन्दा लेख आदेश द–19/19 दिनांकित 30.04.2020 एवं अन्य आदेश पत्रांक 67/2018 दिनांक 30.04.2020 जिसके द्वारा निलम्बन अवधि दिनांक 18.02.2018 से दिनांक 26. 02.2018 तक की अवधि के लिए वेतन एवं भत्ते स्वीकृत किये गये हैं जो निलम्बन अवधि में पा चुके हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ देय नही होगा, को अपास्त किया जावे।

15. जबकि विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने विद्वान अधिवक्ता याचीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कहा कि पुलिस उप–महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा पारित आदेश पत्रांक द 19/19 दिनांक 30.04.2022 एवं अन्य आदेश पंत्राक 67/2018 दिनांक 30.04.2020 में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है और उक्त आदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम 53 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर पारित

किये गये है। सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्तागण द्वारा जो अनुतोष स्थानान्तरण आदेश दिनांक 23.04.2018 को निरस्त करने हेतु चाहा गया है वह अधिकरण के श्रवण क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा याचीकर्तागण द्वारा गणना कार्यालय पुलिस लाइन देहरादून में बीयर का सेवन किया जा रहा था और जिसका वीडियो उन्हीं के अन्य आरक्षी द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर जारी किया गया जिससे पुलिस की छवी धुमिल हुई है और जैसा कि उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम 4 (ग) में भी स्पष्ट किया गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक स्थान में किसी मादक पान अथवा औषधी के सेवन से विरक्त रखेगा चूंकि याचीगण द्वारा गणना कार्यालय में बैठकर बीयर का सेवन करने का अपराध कारित किया गया जो उक्त कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रविधान के उल्लंघन की श्रेणी में आता है जिसके संबंध में नियम 14 (2) पुलिस ऑसिर सबओर्डिनेट रूल 4 एवं 14(2) में लघु दण्ड देने की व्यवस्था स्पष्ट की गई है और जिसके तहत् जांच में दोषी पाये जाने पर याचीगण को वैधानिक रूप से दण्डित किये गये हैं जिसमें कोई भी वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः याचीगण की याचिका निरस्त की जावे।

16. पत्रावली पर इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उक्त चर्चित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचीगण को दिनांक 04.02.2018 को पुलिस लाइन देहरादून के गणना कार्यालय में आरक्षी के पद पर नियुक्त होना स्वीकार है।

17. अब जहां तक याचीगण दीपक सेनवाल, विवेक व योगेन्द्र द्वारा गणना कार्यालय में रात्रि करीब 9.00 बजे एक साथ बैठकर बीयर के सेवन का प्रश्न है के संबंध में निहारिका भट्ट, सहायक पुलिस अधीक्षक/ पुलिस क्षेत्राधिकारी लाईन पुलिस देहरादून द्वारा पूर्व में याचीगण के बीयर सेवन करने का विडियो वायरल होने के संबंध में जांच की गयी जो मुख्य पत्रावली याची दीपक सेनवाल में सलग्नक–4 है, में जांच अधिकारी द्वारा कान्स0 226 विवेक का बयान अंकित किया गया ओर जिसमें याची विवेक कुमार द्वारा यह स्वीकार किया गया कि **"मेरे छोटे भाई का सलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर हुआ था, जिसके लिए साथी कर्मचारियों द्वारा पार्टी करने के लिए कहा गया। दिनांक 04.02.2018 को रात्रि में गणना समाप्त होने के**

पश्चात् समय लगभग 8.30 से 9.00 बजे पर मेरे द्वरा बीयर व अन्य खाने का समान मंगाया गया व हम लोग गणना कार्यालय में बैठ कर बीयर पी रहे थे। मेरे साथ गणना मोहर्रिर योगेन्द्र सिंह, दीपक सेनवाल गणना कार्यालय में बैठे थे'' इस गवाह के उपरोक्त बयानात से याचीगण के द्वारा पुलिस गणना कार्यालय पुलिस लाईन देहरादून रात्रि 9.00 बजे बीयर पार्टी आयोजन करने का उदेश्य अपने छोटे भाई का सलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर होना बताया गया और इस गवाह के उक्त बयानात की पुष्टि अन्य गवाह/याची योगेन्द्र सिंह द्वारा भी अपने साक्ष्यों के दौरान उक्त जांच अधिकारी के समक्ष की गयी है कि ''**दिनांक 04.02.2018 की रात्रि लगभग 9.00 बजे गणना में नियुक्त कान्स0 विवेक द्वारा अपने भाई का सलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में होने पर पार्टी दी गयी व बीयर मंगवायी गयी''** उपरोक्त बीयर पार्टी के आयोजन के उदेश्य के संबंध में कोई भी खण्डन याचीगण द्वारा सक्षम अधिकारी पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक देहरादून के समक्ष कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध दिये गये स्पष्टीकरण में नहीं किया गया है तथा अपने साक्ष्य में आरक्षी विवेक कुमार व योगेन्द्र सिंह द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष उक्त उदेश्य के अवसर पर बीयर व अन्य सामान मंगवाना व बीयर पीना स्वीकार किया गया था तथा याची दीपक सेनवाल द्वारा भी उपरोक्त दोनो याचीगण के बयानात की पुष्टि अपने साक्ष्य के दौरान जांच अधिकारी के समक्ष की गई है तथा उपरोक्त याचीगण दीपक सेनवाल व विवेक द्वारा अपनी प्रथम गलती होने पर क्षमा याचना मांगी गयी है। ऐसी स्थिति में वाद में याचीकर्तागण द्वारा बीयर पीने से इन्कार करते हुए बीयर के स्थान पर सॉफ्ट ड्रिंक पीने का कथन पूरी तरह कानूनी सलाह मशविरे के आधार पर कहा जाना स्पश्ट होता है।

18. जबकि सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी निहारिका भट्ट द्वारा की गयी जांच के दौरान याचीकर्तागण द्वारा पुलिस लाईन गणना कार्यालय में दिनांक 04.02.18 को रात्रि 9.00 बजे का0 विवेक के छोटे भाई का उत्तर प्रदेश पुलिस में कम्प्यूटर ऑपरेट के पद पर सलेक्शन होने के उपलक्ष में बीयर पार्टी का आयोजन करना अपने साक्ष्य में स्वीकार किया गया ''जो उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम 4 (3) के उपनियम (ग)

की परिधि में आता है जिसमें प्राविधानित किया गया हे कि ''**सार्वजनिक स्थान में किसी मादक पान अथवा औषधि के सेवन से अपने को विरत रखेगा**''।

19. उपरोक्त साक्ष्य एवं प्रावधान से स्पष्ट है कि याचीगण द्वारा पुलिस लाईन देहरादून के गणना कार्यालय में रात्री 9.00 बजे बीयर का सेवन किया गया जो उत्तरांचल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम चार का उल्लंघन है।

20. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन कि याचीगण द्वारा यदि बीयर का सेवन किया गया था तो उनके रक्त व पेशाब का पैथोलॉजी परीक्षण करवाया जाना चाहिए था पत्रावली पर उपलब्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य से न्यायोचित नहीं है क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण की प्रथम जांच जो निहारिका भट्ट, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी उसमें अपने बयानात में याचीगण द्वारा बीयर का सेवन किया जाना व अपनी प्रथम गलती हेतु क्षमा याचना की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि याचीगण द्वारा बीयर सेवन करने का उद्देश्य आरक्षी विवेक के छोटे भाई का उत्तर प्रदेश पुलिस में सलेक्शन होने पर होना कहा है जिसका याचीगण द्वारा कहीं भी अपने स्पष्टीकण आदि में भी खण्डन नहीं किया गया है। परिस्थितियां भिन्न होती यदि याचीगण द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में जांच अधिकारी के समक्ष अपने बयानात मे बीयर का सेवन करने से इन्कार किया गया होता तथा अपनी गलती को न माना गया होता।

21. अब जहां तक याचीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि याचीकर्तागण को एक ही अपराध के लिए दो या दो से अधिक दण्ड दिये गये, के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस आफिसर सबओर्डिनेट रैंक (पनिशमेंट एवं अपील) रूल 1991 के नियम–4 (बी) में लघु दण्ड के प्रकार स्पष्ट किये गये है जो निम्न प्रकार है–

> "(b) Minor Penalties-
> (i) Withholding of promotion
> (ii) Fine not exceeding one months' pay
> (iii) Withholding of increment, including stoppage at an efficiency bar.
> (iv) Censure"

22. उपरोक्त लघु दण्ड व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए निःसंदेह पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अपने आदेश पत्रांक द 19 / 19 दिनांक 30.04.2020 संलग्नक–1 जिसके द्वारा पुलिस गणना कर्यालय में बीयर का सेवन करने पर याचीगण के उक्त कृत्य एवं आचरण की परिनिन्दा लेख हेतु आदेश पारित किया गया तथा उक्त दिनांक 30.04.2020 को ही पत्रांक न 67 / 2018 दिनांकित 30 अप्रैल, 2020 को याचीगण के निलम्बन अवधि दिनांक 18.02.2018 से दिनांक 26.02.2018 तक की अवधि के लिए वही वेतन एवं भत्ते स्वीकृत किया जाना जो निलम्बन अवधि में पा चुकें हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ देय नही होगा, के बावत आदेश पारित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचीगण को उपरोक्त लघु दण्ड व्यवस्था के विपरीत दो–दो दण्ड (क) परिनिन्दा लेख (ख) निलम्बन अवधि में स्वीकृत अर्ध वेतन एवं भत्ते के अतिरिक्त अन्य कुछ देय नही होने का आदेश पारित किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि याचीगण को एक ही अपराध अथवा त्रुटि के लिए दो–दो दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में याची गण की निलम्बन अवधि में वही स्वीकृत वेतन एवं भत्ते दिये जाने के अतरिक्त यानी देय (अर्ध वेतन व भत्ते) के अतिरिक्त शेष अर्ध वेतन व भत्ते नहीं दिये जाने के बावत पारित आदेश न0 67 / 2018 दिनांक अप्रैल 30, 2020 अपास्त किया जाता है। उत्तरदाता सं0 4 को आदेशित किया जाता है कि याचीगण को निलम्बन अवधि दिनांक 18.02.2018 से दिनांक 26.02.2018 के शेष देय वेतन व भत्ते अन्दर 60 दिन में भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा याचीगण द्वारा पुलिस गणना कार्यालय देरादून में बीयर का सेवन करने के बावत उत्तरदाता सं0 04 द्वारा पारित परिनिन्दा लेख आदेश द–19 / 19 दिनांकित 30.04.2020 में कोई वैधानिक त्रुटि न होने के कारण याचीगण की उपरोक्त याचिकाऐं निरस्त की जाती हैं। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगे।

23. निर्णय की एक–एक प्रति याचिका सं0 46 / एस0बी0 / 2021 एवं 60 / एस0बी0 / 2020 की पत्रावली में रखी जाय।

Sd/-

(राजेन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष (न्यायिक)

दिनांकः जुलाई 21, 2022
देहरादून।